



दिनांक 23.02.2024

प्रेस विज्ञप्ति 25 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
कानून-व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 23.02.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त उ0प्र0 को कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत आगामी त्यौहार एवं लोक सभा चुनाव के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:—

- आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जनपद के थानों के त्यौहार रजिस्टरों का अवलोकन कर लिया जाये तथा पूर्व में अंकित विवादित प्रकरणों का समय से निस्तारण करा लिया जाये।
- वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर पीस कमेटी के पदाधिकारियों तथा व्यापारिक संगठनों के साथ गोष्ठी कर लिया जाय तथा गोष्ठी में उठाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जिला प्रशासन के सहयोग से समय से निराकरण कर लिया जाये।
- महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बाजारों के आस-पास वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाये।
- धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के दृष्टिगत नियमित सतर्क दृष्टि रखी जाये एवं संवेदनशील मार्गों/स्थलों पर आवश्यकतानुसार पुलिस बल तथा यूपी-112 के वाहनों का व्यवस्थापन किया जाये।
- आसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय किया जाये तथा प्रत्येक छोटी सी छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुये तत्परतापूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर इसकी समुचित मॉनीटरिंग की जाये।
- अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनकी समीक्षा कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की मानिटरिंग की जाये तथा सतर्क दृष्टि रखी जाये। भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्टों एवं अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये वैधानिक कार्यवाही की जाये तथा अफवाहों का खण्डन किया जाये।

- संवेदनशील स्थानों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, जुलूस के मार्गों एवं हॉट स्पाट्स पर पर्याप्त/सृदृढ़ पुलिस प्रबन्ध, सीसीटीवी कैमरा व मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- पूर्व से गठित शान्ति समितियों, नागरिक सुरक्षा समितियों आदि से वार्ता कर सभान्त नागरिकों, शान्ति समिति/नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्यों, डिजिटल वालिटियर्स आदि का अपेक्षित एवं सकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जाये।
- यू०पी० बोर्ड आदि परीक्षाओं के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।
- किसानों के धरना/विरोध प्रदर्शन के दृष्टिगत सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूर्व में चुनाव सम्बन्धी घटित घटनाओं का अवलोकन कर सतर्क दृष्टि रखते हुए आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- चुनाव के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रभावी पुलिस प्रबन्ध किये जायें।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना, अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (1090) सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहें।



जनपद मुरादाबाद / थाना बिलारी

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 23.02.2024 को थाना बिलारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्पौड़ारा बेरनी रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नेपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिलारी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नेपाल निवासी मुडिया खेडा थाना कुढफतेहगढ जनपद सम्मल, हालपता ग्राम परौता थाना शाहबाद जनपद रामपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बदायूँ / थाना बिल्सी

- पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 09 हजार 700 रुपये नगद
- लूट के सोने के आभूषण
- 01 मोबाइल फोन
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 23.02.2024 को थाना बिल्सी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरनी ढकपुरा मोड़ के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम

पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शादाब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 09 हजार 700 रुपये नगद, लूट के सोने के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना बिल्सी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शादाब निवासी साहवगंज बिल्सी थाना बिल्सी जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1—लूट के 09 हजार 700 रुपये नगद।

2—लूट के सोने के आभूषण।

3—01 मोबाइल फोन।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना हाटा

- चोरी की घटना का अनावरण
- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 01 लाख 50 हजार रुपये नगद
- लगभग 14 लाख रुपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 02 लैपटॉप, 05 मोबाइल फोन, 02 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि
- घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 23.02.2024 को थाना हाटा, थाना कप्तानगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे ढाला कप्तानगंज के पास से 05 अभियुक्तों

1—संदीप 2—संतोष कुमार 3—अजीत कुमार 4—करन कुमार 5—सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद, लगभग 14 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 02 लैपटॉप, 05 मोबाइल फोन, 02 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुईं।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त संदीप के विरुद्ध जनपद कुशीनगर, देवरिया के विभिन्न थानों में चोरी, आम्सू एकट आदि के 17 अभियोग एवं अभियुक्त अजीत, संतोष कुमार, सुजीत व करन कुमार के विरुद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों में चोरी आदि के 06—06 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हाटा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संदीप निवासी ग्राम कोटवां बसावन टोला थाना महुआड़ीह जनपद देवरिया।

2—संतोष कुमार निवासी ग्राम मुण्डेरा चन्द्र पो० हेतिमपुर थाना महुआड़ीह जनपद देवरिया।

3—अजीत कुमार निवासी ग्राम नौतनडीहा थाना महुआड़ीह जनपद देवरिया।

4—करन कुमार निवासी ग्राम न०पं० सुकरौली थाना को०हाटा जनपद कुशीनगर।

5—सुजीत कुमार निवासी ग्राम मोहनपट्टी नौतनहथिया गढ़ थाना महुआड़ीह जनपद देवरिया।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2—लगभग 14 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 02 लैपटॉप, 05 मोबाइल फोन, 02 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि।

3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 05 लग्जरी चार पहिया वाहन
- भारी मात्रा में चोरी करने के उपकरण आदि बरामद

दिनांक 22.02.2024 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मसूरी क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1—ताज मोहम्मद उर्फ ताजू उर्फ चवन्नी 2—गुड़ 3—मतीन 4—काशिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 लग्जरी चार पहिया वाहन, भारी मात्रा में चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ ताजू उर्फ चवन्नी के विरुद्ध जनपद हापुड़, कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी आदि के 55 अभियोग, अभियुक्त गुड़ के विरुद्ध कमिशनरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त मतीन के विरुद्ध जनपद बरेली, मुरादाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त काशिफ के विरुद्ध कमिशनरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में कमिशनरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—ताज मोहम्मद उर्फ ताजू उर्फ चवन्नी निवासी कस्बा व थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर, हालपता संगम विहार थाना संगम विहार दिल्ली।
- 2—गुड़ निवासी तीसरा पुस्ता करतार नगर थाना उस्मानपुर दिल्ली।
- 3—मतीन निवासी मोहल्ला बरबरान थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद, हालपता कबीरनगर रामपुर दौराहा जनपद मुरादाबाद।
- 4—काशिफ निवासी कस्बा व थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर, हालपता एन0के0 कॉलोनी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी

- 1—चोरी की 05 लग्जरी चार पहिया वाहन।
- 2—भारी मात्रा में चोरी करने के उपकरण आदि।

जनपद बाराबंकी / थाना कोतवाली नगर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 23.02.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सूतमिल तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1—नानबाबू 2—रहीस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—नानबाबू निवासी सकरौरा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
- 2—रहीस निवासी नई बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

- 1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

एएनटीएफ / थाना एएनटीएफ बाराबंकी

- 03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 67 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 670 ग्राम अवैध मारफीन बरामद

दिनांक 22.02.2024 की रात्रि थाना एएनटीएफ बाराबंकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फैजुल्लागंज सन बेकरी के पास से 03 मादक पदार्थ तस्करों 1—मो0कैफ 2—मो0जमीर उर्फ फिरोज 3—मुसैब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 67 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 670 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जहाँगीराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0कैफ निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

2—मो0जमीर उर्फ फिरोज निवासी अशदनगर दशहराबाग थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

3—मुसैब निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 67 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 670 ग्राम अवैध मारफीन।

➤ जनपद अमरोहा/थाना मण्डी धनौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना मण्डी धनौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मेजर सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद फतेहपुर/थाना सुल्तानपुर घोष (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10/08 कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना सुल्तानपुर घोष पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—रामबाबू को धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एकट के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 04 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2—हरिशचन्द्र उर्फ बचानी 3—अभियुक्ता को धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एकट के अन्तर्गत 08—08 वर्ष के कारावास व 04—04 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस०टी०एफ—अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध एथाइल एल्कोहल, डीजल व केमिकल पदार्थों की चोरी कर बाजारों में सप्लाई करने वाले गिरोह के 05 सदस्य गिरफ्तार, 14 छम एथाइल एल्कोहल (लगभग 2800 लीटर) व लगभग 14,300 लीटर डीजल बरामद।

दिनांक: 22-02-2024 को एस०टी०एफ उ०प्र० को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध एथाइल एल्कोहल पदार्थ व डीजल की तस्करी करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को लगभग 2800 लीटर एथाइल एल्कोहल व 14,300 लीटर डीजल (टैंकर व छम में भरा हुआ) के साथ कानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

- 1— शनि उर्फ कमल जीत सिंह, निवासी गुमटी न०-५, थाना फजलगंज, कानपुर नगर।
- 2— विजय पाल पुत्र मथुरा प्रसाद, निवासी रतनपुर कालौनी पनकी, थाना पनकी, कानपुर।
- 3— मूलचन्द्र सैनी पुत्र छुन्नी सैनी निवासी 243 कल्यानपुर कला, थाना कल्यानपुर, कानपुर नगर।
- 4— साहब शरन पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्वालटोली थाना ग्वालटोली कानपुर नगर।
- 5— सोहराब पुत्र मुस्तकीम कुरैसी निवासी बरवा रसूलपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी—

- 1— 01 अदद टैंकर में डीजल भरा हुआ (लगभग 12 हजार लीटर) नं० य०पी० 78 एफटी 8389
- 2— 12 छम डीजल लगभग 2300 लीटर।
- 3— 14 छम लगभग 2800 लीटर एथाइल एल्कोहल (कीमत लगभग 04 लाख रुपये)
- 4— 01 अदद छोटा हाथी सुपर कैरी न० य०पी० 77 ए०न० 4533
- 5— 10 छम खाली।
- 6— नगद रु० 8,100/-
- 7— 05 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय:- थाना क्षेत्र सचेन्डी किसान नगर नहर पार, पलाई ओवर की सर्विस रोड, अन्डर पास से पार दहिनी साइट समय 18:00 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डीजल व एल्कोहल व कैमिकल आदि को टैंकर चालकों की मिली भगत से चोरी से निकाल कर बाजारों में सप्लाई करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री दिनेष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर द्वारा निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह उ0नि0 राहुल परमार द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था।

दिनांक 22–02–2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अवैध तरीके से डीजल, एल्कोहल व कैमिकल की टैंकरों से चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों द्वारा किसान नगर थाना क्षेत्र सचेन्डी में हाईवे के पास, हाईवे से गुजरने वाले टैंकरों के चालकों को प्रलोभन देकर टैंकरों में लोड डीजल, एल्कोहल व कैमिकल आदि चोरी से निकाल कर बाजारों में उसकी सप्लाई करते हैं। इस सूचना पर उ0नि0 राहुल परमार के नेतृत्व में मु0अ0 अरविन्द सिंह, मु0आ0 अशोक राजपूत, मु0आ0 देवेश द्विवेदी, आरक्षी सत्यम यादव व चालक धर्मन्द्र कुमार की टीम द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को साथ लेकर थाना क्षेत्र सचेन्डी के किसान नगर नहर पार पलाई ओवर की सर्विस रोड, अन्डर पास से पास से स्थानीय पुलिस के सहयोग से घेराबन्दी कर 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है, जो डीजल, एल्कोहल व कैमिकल आदि को टैंकर चालकों की मिली भगत से चोरी से निकाल कर बाजारों में सप्लाई करता है। इस गिरोह का सरगना लकी सोनकर है। लकी सोनकर हाईवे के किनारे एक गोदाम खोल रखा है। गिरोह के सदस्य इन्डियन ऑयल व डिस्ट्रेलरी से निकलने वाले टैंकर चालकों को प्रलोभन देकर उनके टैंकरों से तेल, कैमिकल व एल्कोहल चोरी करते हैं। चोरी किये हुए डीजल को आस पास के क्षेत्रों

की डीलज की दुकानों में सप्लाई करते हैं तथा कैमिकल को पेन्ट बनाने वाली कम्पनी एवं फर्मसी आदि को सप्लाई करते हैं एवं एथाइल एल्कोहल को ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने वाले लोगों को सप्लाई करते हैं। इस अवैध कारोबार के सभी लेन-देन नगद के रूप में होता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सचेन्डी कमिशनरेट कानपुर में मु030सं0 61/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनीत एवं 41/411 भादवि पर पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।
